रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 171] नई दिल्ली, शनिवार, जून 24, 1972/आषाढ़ 3, 1894

No. 171] NEW DELHI, SATURDAY, JUNE 24, 1972/ASADHA 3, 1894

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF RAILWAYS

(Railway Board)

NOTIFICATIONS

New Delhi, the 21st June 1972

G.S.R. 323(E).—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the Railway Board Secretariat Service Rules, 1969, namely:—

1. (1) These rules may be called the Railway Board Secretariat Service (Amendment) Rules, 1972.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Schedule to the Railway Board Secretariat Service Rules, 1969, under the heading "A—Section Officers' Grade", in sub-regulation (1) of regulation 2, in clause (c), for the words "the Ministry of Railways (Railway Board)", the words "the Commission" shall be substituted.

[No. E(RB)I-71/10/13.]

रेल मंत्रालय

(रेलवे बोर्ड)

अधिसूचनाएं

नई दिल्ली, 21 जून 1972

जी० एस० आर 323.—संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति, एतद्द्वारा, रेलवे बोर्ड सचिवालय सेवा नियम, 1969 में आगे और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. (1) ये नियम रेलवे बोर्ड सचिवालय सेवा (संशोधन) नियम, 1972 कहे जा सकेंगे ।

(2) ये सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. रेलवे बोर्ड सचिवालय सेवा नियम, 1969 की अनुसूची में, "क—अनुभाग अधिकारी ग्रेड" शीर्षक के अन्तर्गत, विनियम (2) के उपनियम (1) में, खण्ड (ग) में "रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड)" शब्दों के स्थान पर "आयोग" शब्द प्रतिस्थापित किया जाय ।

[सं० ई (आर बी) I-71/10/13]

The Railway Board Secretariat Service (Section Officers' Grade Departmental Competitive Examination) Regulations, 1972

G.S.R. 324(E).—In pursuance of the provisions in sub-paragraph (2) of paragraph 2 of the Schedule to the Railway Board Secretariat Service Rules, 1969, the Central Government in the Ministry of Railways, in consultation with the Union Public Service Commission, hereby makes the following regulations, namely:—

1. **Short title.**—These regulations may be called the Railway Board Secretariat Service (Section Officers' Grade Departmental Competitive Examination) Regulations, 1972.

2. **Definitions** (1).—In these regulations, unless the context otherwise requires,—

(a) "Crucial date" means the 1st day of July of the year in which the examination is held;

(b) "Examination" means a Limited Departmental Competitive Examination to be held by the Commission for making additions to the Select List for the Section Officers' Grade;

(c) "Selection" means inclusion in the Select List for the Section Officers' Grade; and

(d) "Scheduled Castes" and "Scheduled Tribes" shall have the same meanings respectively assigned to them in clauses (24) and (25) of article 366 of the Constitution.

(2) All other words and expressions used herein and not defined shall have the meanings respectively assigned to them in the Railway Board Secretariat Service Rules, 1969.

3. **Holding of the Examination.**—(a) The examination shall be conducted by the Commission in the manner to be notified by the Central Government in the Ministry of Railways from time to time.

(b) The dates on which and the places at which the examination shall be held shall be fixed by the Commission.

4. **Conditions of eligibility.**—Any permanent or temporary officer of the Assistants' Grade of the Railway Board Secretariat Service who, on the crucial date, satisfies the following conditions shall be eligible to appear at the examination:—

(1) *Length of Service.*—He should have rendered a continuous service of not less than five years in any one or, as the case may be, more than one of the following, posts, namely:—

(i) Assistant (Railway Board Secretariat Service).

(ii) Any other post, under the Central Government or a State Government, the minimum and the maximum of the scale of pay of which being not less than Rs. 160 and Rs. 450 respectively in the case of a post held prior to 1st July, 1959 and Rs. 210 and Rs. 530 respectively in the case of a post held on or after 1st July, 1959:

Provided that any period of absence of such an officer on Military duties may be allowed to be counted towards the prescribed length of Service in any of the above posts.

Provided further that an Assistant who is on deputation to an ex-cadre post with the approval of the competent authority and is otherwise eligible shall be entitled to be admitted to the examination.

Provided also that an Assistant who has been appointed to an ex-cadre post or to another service on 'transfer' and does not have a lien in the Assistants' Grade shall not be eligible to take the examination.

(2) *Age.*—He should not be more than 40 years of age:

Provided that the upper age limit may be relaxed in respect of such categories of persons and to such extent as may be notified in this behalf from time to time, by the Central Government in the Ministry of Railways.

(3) *Fees.*—He shall pay the fees prescribed by the Commission subject to such exemptions or concessions or both as may be notified in this behalf by the Central Government in the Ministry of Railways from time to time.

5. **Canvassing for candidature.**—Any attempt on the part of a candidate to obtain support for his candidature by any means may be held by the Commission to disqualify him for admission to the examination.

6. **Decision as to eligibility.**—The decision of the Commission as to the eligibility or otherwise of a candiatte for admission to the examination shall be final and no candidate to whom a certificate of admission has not been issued by the Commission, shall be admitted to the examination.

7. **Results.**—(1) The names of the candidates who are consideredby the Commission to be suitable for selection on the results of any examination shall be arranged in the order of merit and recommended for selection in that order upto the required number.

(2) The form and manner of communication of the results of the examination to individual candidates shall be decided by the Commission in their discretion and the Commission shall not enter into any correspondence with the individual candidates regarding the results.

8. **Selection.**—(1) Success in the examination does not confer any right to selection unless the Government is satisfied, after such enquiry as may be considered necessary, that the candidate is eligible and suitable in all respects for selection:

Provided that the decision as to ineligibility for selection in the case of any candidate recommended for selection by the Commission shall be taken in consultation with the Commission.

(2) Subject to the provisions of sub-regulation (1), selection on the results of any examination shall be made to the extent required, in the order of merit of the candidates recommended by the Commission:

Provided that candidates belonging to any of the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes may, to the extent, the number of vacancies reserved for them

cannot be filled on the basis of the general standard, be recommended by the Commission by a relaxed standard, to make up the deficiency in the reserved quota, subject to the fitness of these candidates for inclusion in the Select List for the Section Officers' Grade, irrespective of their ranks in the order of merit at the examination.

9. **Penalty for impersonation or other misconduct.**—A candidate who is or has been declared by the Commission guilty of impersonation or of submitting fabricated documents or documents which have been tampered with or of making statements which are incorrect or false or of suppressing material information or otherwise resorting to any other irregular or improper means for obtaining admission to the examination or of using or attempting to use unfair means in the examination hall or of misbehaviour in the examination hall may, in addition to rendering himself liable to criminal prosecution—

(a) be debarred permanently or for a specified period—

(i) by the Commission from admission to any examination or from appearance for any interview held by the Commission for the selection of candidates; and

(ii) by the Central Government from employment under it;

(b) be also liable to disciplinary action under the appropriate rules.

[No. E(RB)I-71/10/13.]

H. F. PINTO,
Secretary, Railway Board & *ex-officio* Jt. Secy.

रेलवे बोर्ड सचिवालय सेवा (अनुभाग अधिकारी ग्रेड विभागीय प्रतियोगिता) परीक्षा विनियम, 1972

जो० एस० आर० 324 (अ).—रेलवे बोर्ड सचिवालय सेवा नियम, 1969 की अनुसूची के पैरा 2 के उप पैरा (2) के उपबन्धों के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार का रेल मंत्रालय, संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श से, एतद्द्वारा निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात् :—

1. **संक्षिप्त नाम.**—ये विनियम रेलवे बोर्ड सचिवालय सेवा (अनुभाग अधिकारी ग्रेड विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा) विनियम, 1972 कहे जा सकेंगे ।

2. **परिभाषाएं.**—(1) इन विनियमों में, जब तक की संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो,

(क) **निर्णायक तारीख** से उस वर्ष की जुलाई का प्रथम दिन अभिप्रत है, जिस वर्ष परीक्षा ली जाती है;

(ख) **परीक्षा** से अनुभाग अधिकारी ग्रेड के लिए प्रवर सूची में परिवर्तन के निमित्त आयोग द्वारा आयोजित सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा अभिप्रेत है;

(ग) **चयन** से अनुभाग अधिकारी ग्रेड के लिये प्रवर सूची में समावेश अभिप्रेत है; और

(घ) "अनुसूचित जातियों", और "अनुसूचित आदिमजातियों" का अर्थ वही होगा जसा उन्हें क्रमशः संविधान की धारा 366 के खण्ड (24) और (25) में समनुदिष्ट है ।

(2) अन्य सभी शब्द और पद जो इन विनियमों में प्रयुक्त है और इनमें परिभाषित नहीं हैं उनके क्रमशः वे ही अर्थ होंगे जो उन्हें रेलवे बोर्ड सचिवालय सेवा नियम, 1969 में समनुदिष्ट हैं ।

3. **परीक्षा का आयोजन.**—(क) परीक्षा आयोग द्वारा ऐसी रीति से ली जायेगी जो केन्द्रीय सरकार के रेल मंत्रालय द्वारा समय-समय पर अधिसूचित की जाय ।

(ख) जिन तारीखों को और जिन स्थानों पर परीक्षा ली जायगी व आयोग द्वारा निश्चित किये जायगें ।

4. **पात्रता की शर्तें.**—रेलवे बोर्ड सचिवालय सेवा के सहायक ग्रेड का कोई भी स्थायी या अस्थायी अधिकारी जो निर्णायक तारीख को निम्नलिखित शर्तें पूरी करता है, परीक्षा में बैठने का पात्र होगा :—

(1) **सेवा काल.**—उसने निम्नलिखित में से किसी एक या, यथास्थिति, एक से अधिक पदों पर 5 वर्ष से अन्यून निरन्तर सेवा की हो, अर्थात्:—

(i) सहायक (रेलवे बोर्ड सचिवालय सेवा) ।

(ii) केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के अन्तर्गत कोई अन्य पद, जिसका न्यूनतम और अधिकतम वेतनमान, पहली जुलाई, 1959 से पूर्व धारित पद के मामले में क्रमशः 160 और 450 रुपये, और पहली जुलाई, 1959 को या उसके बाद धारित पद के मामले में 210 और 530 रुपये से कम न हो ।

परन्तु सैनिक ड्यूटी पर रहने के कारण उसकी अनुपस्थिति से सम्बंधित किसी अवधि की उक्त पदों में से किसी एक के विहित सेवा काल में संगणना की अनुमति दी जा सकेगी ।

परन्तु यह भी कि जो सहायक सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से संवर्ग वाह्य पदों पर प्रतिनियुक्त है, वह परीक्षा में प्रवेश पाने का पात्र होगा, यदि वह अन्यथा पात्र हो ।

परन्तु यह भी कि जो सहायक संवर्ग वाह्य पद पर अथवा 'अंतरण' पर किसी अन्य सेवा में नियुक्त हो और सहायक ग्रेड में धारणाधिकार न रखता हो, परीक्षा में प्रवेश पाने का पात्र न होगा ।

(2) **आयु.**—वह 40 वर्ष से अधिक आयु का न हो ।

लेकिन उच्चतम आयु सीमा ऐसे वर्गों के व्यक्तियों के सम्बन्ध में, जो केन्द्रीय सरकार के रेल मंत्रालय द्वारा समय-समय पर इस निमित्त अधिसूचित किये जाएं, प्रत्येक वर्ग के बारे में अधिसूचित सीमा तक शिथिल की जा सकेगी ।

(3) **फीस.**—इस निमित्त केन्द्रीय सरकार के रेल मंत्रालय द्वारा समय-समय पर अधिसूचित की जाने वाली छूटों या रियायतों या दोनों के अधीन रहते हुए, उसे आयोग द्वारा विहित फीस देनी होगी ।

5. **अभ्यर्थिता के लिए संयाचना.**—अभ्यर्थी द्वारा अपनी अभ्यर्थिता के लिए किसी भी साधन से समर्थन अभिप्राप्त करने का कोई भी प्रयत्न आयोग द्वारा ऐसा आचरण माना जा सकेगा जो परीक्षा में उसका सम्मिलित होना निरर्हित कर देगा ।

6. **पात्रता के सम्बन्ध में विनिश्चय.**—परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए अभ्यर्थी की पात्रता या अन्यथा के बारे में आयोग का विनिश्चय अन्तिम होगा और परीक्षा में किसी ऐसे अभ्यर्थी को सम्मिलित नहीं किया जायेगा, जिसे आयोग ने प्रवेश प्रमाण-पत्र न दिया हो ।

7. **परिणाम.**—(1) उन अभ्यर्थियों के नाम जिन्हें आयोग किसी परीक्षा के परिणाम के आधार पर चयन के लिए उपयुक्त समझता है, योग्यता-क्रम में लगा दिये जायेंगे और उसी क्रम में अपेक्षित संख्या तक चयन के लिए उनकी सिफारिश की जायेगी ।

(2) अलग-अलग अभ्यर्थियों को परीक्षा के परिणामों की संसूचना किस रूप में और किस रीति से दी जायेगी, इसका विनिश्चय आयोग द्वारा स्वविवेकानुसार किया जायेगा और आयोग परिणाम के बारे में अलग-अलग अभ्यर्थियों से कोई पत्र-व्यवहार नहीं करेगा ।

8. **चयन.**—(1) परीक्षा में सफलता से चयन का कोई अधिकार प्रदत्त नहीं हो जाता, जब तक कि ऐसी जांच के पश्चात् जो आवश्यक समझी जाये, सरकार का यह समाधान न हो जाये कि अभ्यर्थी चयन के लिए सभी प्रकार से पात्र और उपयुक्त है ।

परन्तु आयोग ने जिस किसी अभ्यर्थी के चयन की सिफारिश की हो, उसके मामले में चयन के लिए अपात्रता का विनिश्चय आयोग के साथ परामर्श करके किया जायेगा ।

(2) उप विनियम (1) के अनुबन्धों के अधीन, किसी परीक्षा के परिणाम के आधार पर आयोग द्वारा सिफारिश किये गये अभ्यर्थियों का चयन अपेक्षित सीमा तक, योग्यता-क्रम से होगा ।

परन्तु यदि अनुसूचित जातियों अथवा अनुसूचित आदिम जातियों के लिए आरक्षित रिक्तियां, सामान्य स्तर के आधार पर न भरी जा सकती हों, तो जितनी रिक्तियां भरने से रह जायें, उन्हें भरने के लिए आयोग द्वारा सामान्य स्तर में छूट देकर, इन जातियों के उतने ही अभ्यर्थियों की सिफारिश की जा सकेगी, बशर्ते ऐसे अभ्यर्थी अनुभाग अधिकारी ग्रेड के लिए प्रवर सूची में समावेश करने के योग्य हों, भले ही परीक्षा में योग्यता-क्रम से उनका स्थान कहीं भी हो ।

9. **प्रतिरूपण या अन्य अवचार के लिए शास्ति.**—कोई अभ्यर्थी जिसकी बाबत आयोग द्वारा यह घोषित किया जाता है या कर दिया जाता है कि वह प्रतिरूपण का या गढ़े दस्तावेजों को जिनमें गड़बड़ की गयी है, प्रस्तुत करने का, या ऐसे कथन करने का जो गलत या मिथ्या हो, या महत्वपूर्ण जानकारी को छिपाने का अथवा परीक्षा में प्रवेश पाने के लिए किन्हीं अन्य अनियमित या अनुचित साधनों का अन्यथा सहारा लेने का या परीक्षा हाल में अनुचित साधनों के उपयोग करने या उपयोग करने के प्रयत्न करने का या परीक्षा हाल में कदाचार का दोषी है, स्वयं आपराधिक अभियोजन के दायित्वाधीन होने के अतिरिक्त—

(क) (i) अभ्यर्थियों के चयन के लिए आयोग द्वारा आयोजित किसी परीक्षा में प्रवेश से या किसी साक्षात्कार में उपस्थित होने से, और

(ii) केन्द्रीय सरकार के अन्तगत नियोजित होने से स्थायी रूप से या किसी विनिर्दिष्ट अवधि के लिए विवर्जित होगा, तथा

(ख) समुचित नियमों के अधीन अनुशासनिक कारवाई के दायित्वाधीन भी होगा ।

[सं० ई (आर बी) I-71/10/13]

एच०एफ० पिंटो,
सचिव, रेलवे बोर्ड एवं पदेन संयुक्त सचिव ।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1972